आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Directorate of Social Welfare, Goa / State Commissioner for Persons with Disabilities

Scheme for Scholarship to Differently Abled Person

गोवा का समाज कल्याण निदेशालय कक्षा IX से आगे पढ़ने वाले, डिग्री और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के, और व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को हर महीने छात्रवृत्ति देता है।

क्या मिल सकता है

मासिक छात्रवृत्ति: कक्षा IX से XII के लिए 500 रुपये, बीए, बी.कॉम और बी.एससी के लिए 650 रुपये, और एम.ए., एम.कॉम, एम.एससी तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 900 रुपये।

किसके लिए है

किसी भी श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थी जो गोवा के निवासी हैं, कक्षा IX या उससे आगे पढ़ रहे हैं और जिनके माता-पिता की आय 1,20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है।

मुख्य शर्तें

- आवेदक जन्म से गोवा का वास्तविक निवासी हो, या गोवा में लगातार 15 साल से रह रहा हो।
- विद्यार्थी कक्षा IX या उससे आगे पढ़ रहा हो और पिछली वार्षिक परीक्षा में कम से कम 45% अंक लाया हो।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाला विद्यार्थी केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था के केंद्र, कार्यशाला या आईटीआई में पाठ्यक्रम कर रहा हो।
- माता-पिता या अभिभावक की कुल आय 1,20,000 रुपये से ज़्यादा न हो।

दस्तावेज़

- मेडिकल बोर्ड का जारी किया दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- सालाना 1,20,000 रुपये के भीतर आय दिखाने वाला आय प्रमाणपत्र
- समाज कल्याण निदेशालय का जारी किया पहचान पत्र
- पिछली वार्षिक परीक्षा के अंकों का विवरण, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित
- विद्यार्थी जिस संस्था में पढ़ता है, उसके प्रमुख की सिफ़ारिश
- निवास प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड की प्रति

आवेदन कैसे करें

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरें और दस्तावेज़ लगाएँ।
2. आवेदन उस संस्था के प्रमुख के माध्यम से समाज कल्याण निदेशालय में जमा करें जहाँ विद्यार्थी पढ़ता है।

स्थिति

आखिरी तारीख: 30 नवंबर 2026

आधिकारिक स्रोत: https://scpwd.goa.gov.in/statesectorschemes/
आधिकारिक आवेदन: https://cmscholarship.goa.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/goa/goa-scholarship-differently-abled/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।